भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1901
28 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत निधि

1901. श्रीमती प्रमिला बिसाई:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि कितनी है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। यह मंत्रालय, 'सब के लिए आवास' के लक्ष्य के तहत, सभी पात्र परिवारों/ लाभार्थियों के लिए आवासों के निर्माण हेतु 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों के कार्यों में सहयोग दे रहा है। अब तक, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस मंत्रालय को प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, पीएमएवाई-यू के तहत 2.03 लाख करोड़ रूपये की केंद्रीय सहायता वाले 122 लाख से अधिक आवासों को स्वीकृति दी गई है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2019-20 से 2021-22) और चालू वर्ष (2022-23) के दौरान, 1,00,318.66 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है, जिसमें 70,697.39 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और 89,000.07 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है; जिनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा संलग्न है।

दिनांक 28.07.2022 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1901 के उत्तर मे उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के तहत पिछले तीन वर्षों (2019-20 से 2021-22) और चालू वर्ष (2022-23) के दौरान स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

18.07.2022 तक

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	उपयोग की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	5.42	1.69	1.52
2	आंध्र प्रदेश	23,418.49	7,477.54	8,722.91
3	अरुणाचल प्रदेश	53.10	57.58	64.62
4	असम	1,634.36	800.51	1,110.23
5	बिहार	1,659.04	1,193.74	1,912.56
6	चंडीगढ़ (यूटी)	20.87	20.87	20.87
7	छत्तीसगढ	2,044.87	1,795.71	2,461.00
8	दादर और नगर हवेली दमन और दीव (यूटी)	104.16	107.53	123.24
9	दिल्ली (एनसीआर)	334.01	334.01	334.01
10	गोवा	55.99	55.99	56.01
11	गुजरात	10,737.68	9,688.82	11,011.63
12	हरियाणा	654.85	710.66	810.77
13	हिमाचल प्रदेश	120.39	109.26	138.71
14	जम्मू और कश्मीर (यूटी)	387.15	274.99	246.21
15	झारखंड	1,751.54	1,126.69	1,239.74
16	कर्नाटक	3,235.40	2,374.20	3,892.61
17	केरल	1,056.84	824.51	1,264.55
18	लद्दाख (यूटी)	4.00	4.89	7.78
19	लक्षद्वीप (यूटी)	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	6,481.77	5,867.28	10,132.17
21	महाराष्ट्र	15,050.05	9,707.09	9,374.96
22	मणिपुर	263.05	165.16	491.60
23	मेघालय	38.22	18.71	22.25
24	मिजोरम	171.65	94.15	118.51
25	नागालैंड	152.58	155.10	151.63
26	ओडिशा	1,636.58	1,036.02	1,038.22

27	पुडुचेरी (यूटी)	107.05	104.86	116.24
28	पंजाब	1,139.84	948.12	1,021.85
29	राजस्थान	2,256.23	2,385.80	2,287.83
30	सिक्किम	3.30	3.30	3.30
31	तमिलनाडु	5,018.15	5,139.66	7,898.45
32	तेलंगाना	1,774.73	1,459.83	1,544.06
33	त्रिपुरा	435.27	462.09	622.39
34	उत्तर प्रदेश	11,902.65	12,902.66	16,400.86
35	उत्तराखंड	612.63	330.00	379.02
36	पश्चिम बंगाल	5,996.75	2,958.37	3,977.76
कुल		**1,00,318.66**	**70,697.39**	**89,000.07**

*पिछले तीन वर्षों के पूर्ववर्ती वर्षों और चालू वर्ष की अनुमोदित केंद्रीय सहायता में से जारी की गई धनराशि शामिल है।

** पिछले तीन वर्षों के पूर्ववर्ती वर्षों और चालू वर्ष की अनुमोदित केंद्रीय सहायता में से उपयोग की गई धनराशि शामिल है।

*****